भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1641**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 13 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातकों को सशक्त बनाने की योजना

1641. **श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया**:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में निर्यातकों को सशक्त बनाने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) एवं (ख) सरकार व्यापार सुविधा, बाजार पहुंच सहायता, निर्यात वित्त और डिजिटल सक्षमकरण के माध्यम से भारत के निर्यात पारितंत्र को मजबूत करने और निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाओं और नीतिगत पहलों को लागू कर रही है। महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं:

i. सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को लक्षित सहायता प्रदान करना है। मिशन दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से संचालित होगा:

- निर्यात प्रोत्साहन- ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और ऋण प्रोत्साहन सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच बनाने में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है; और
- निर्यात दिशा- निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिग और पैकेजिंग, बाजार पंहुच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स तथा भंडारण और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार एनेबलर्स पर ध्यान केन्द्रित करती है।

ii. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना 1 अप्रैल 2021 से चालू है, जो निर्यातित वस्तुओं पर लागू करों और शुल्कों को निष्क्रिय करने के लिए 10,642 प्रशुल्क लाइनों को कवर करती है।

iii. श्रम-प्रधान वस्त्र और परिधान क्षेत्रों से निर्यात की सहायता करने वाली राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल) योजना ।

iv. निर्यात केंद्रों के रूप में जिले (डीईएच) पहल, जो निर्यात क्षमता वाले जिला-विशिष्ट उत्पादों को चिह्नित करती है और स्थानीय उद्यमों की क्षमता निर्माण और निर्यात तत्परता की सहायता करती है।

v. मौजूदा और इच्छुक भारतीय निर्यातकों को व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म (https://trade.gov.in) संचालित किया गया है। यह मंच वाणिज्य विभाग, विदेशों में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों और अन्य संगठनों के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है ताकि भारतीय निर्यातकों को व्यापक सहायता प्रदान की जा सके।

vi. एमएसएमई मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आइसी) स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत पात्र केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों और उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी को सुगम बनाती है, और भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों के आयोजन में सहायता करती है। जून, 2022 में शुरू किया गया फर्स्ट-टाइम एक्सपोर्टर्स (सीबीएफटीई) का क्षमता निर्माण नामक एक समर्पित घटक, निर्यात संवर्धन परिषदों से पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए आवश्यक परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन से संबंधित खर्चों के लिए नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।

vii. इसके अतिरिक्त, कई अन्य एमएसएमई-केंद्रित योजनाएं निर्यात में लगे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में योगदान करती हैं। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति), शून्य दोष शून्य प्रभाव (जेडईडी) प्रमाणन

स्कीम, लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) स्कीम और खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से उत्पादकता, गुणवत्ता, बाजार पहुंच और एमएसएमई की संस्थागत क्षमता को बढ़ाती हैं।

viii. निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनके एकीकरण में सुधार करने के लिए, सरकार ने निर्यात ऋण, जोखिम न्यूनीकरण और व्यापार वित्त सहायता तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से कई उपायों को लागू किया है। इनमें शामिल हैं -

- निर्यातकों या निर्यातक समूहों के लिए ₹80 करोड़ तक की कुल निर्यात कार्यशील पूंजी सीमा के साथ लघु अवधि संपूर्ण कारोबार - बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआइबी) योजना के तहत 90% बीमा कवर का प्रावधान, ताकि किफायती निर्यात ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया जा सके।
- निर्यातकों के लिए बिना मध्यस्थों के सीधे पॉलिसी प्राप्त करने पर 100% तक की बीमा कवर में वृद्धि, जिसे बैंकों द्वारा जोखिम कम करने के रूप में माना जा सकता है, जिससे एमएसएमई निर्यातकों के लिए आनुषंगिक आवश्यकताओं को आसान बनाया जा सकता है।
- 10 करोड़ रुपये तक की शुद्ध मूल बकाया राशि वाले अल्पकालिक ईसीआईबी दावों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जिससे तेजी से प्रसंस्करण और कम दस्तावेज़ीकरण संभव हो सके।
- विनिर्माण एमएसएमई के लिए तैयार की गई एक गैर-अपीलीय निर्यात फैक्टरिंग सुविधा की शुरूआत, कार्यशील पूंजी सहायता, क्रेडिट जोखिम सुरक्षा और प्राप्य प्रबंधन प्रदान करती है।
- निर्यातकों के लिए फैक्टरिंग सेवाओं के विस्तार में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कारकों की सहायता करने के लिए भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा में निर्यात प्राप्य बीमा कवर (ईआरआईसी) का प्रावधान करना।

****